[Shri Surendra Mohanty]

can't we send a senior officer of the rank of Ambassador there.

Sir, if you look at the Annual, Report immobility and *status quo* are hunting the activities of the External Affairs Ministry. It has perhaps left no scope for the Foreign Minister to operate with flexibility. If you look at page 2 of the Report in this fastly changing world of increasing tempo what have we done : "In Asia and Afr.ca too the outstanding characteristic of the year, it may be, is the fresh emphasis on cooperation for mutual benefit." What was that mutual cooperation ? What was the quality and valve of that cooperation when in the Afro-Asian Conference not a single voice had been raised in favour of India on the issue of Bangla Desh ? Regarding South East Asia the Report says there is increasing measure of understanding with the powers of the South East Asian countries. What is that measure of understanding ? Who has supported you on the Bangla Desh issue. Now Malaysia's ex-Prime Minister, as Secretary of the Islamic Powers, is making pilgrimage to Islamabad. Ceylon is silent. Indonesia is ambivalent. What measure of understanding have you achieved ?

About China, we are in the habit of wringing our hands in despair and talking of platitudes which take us neither here nor there.

In conclusion I would only say what my hon. friend, Shri Atal Bihari Vajpayee, has so eloquently emphasized. A nation of beggars can have no independent foreign policy. The only image that we have cast across the international scene is that of rosary beads and a begging bowl. But this will not carry us any further. You have to develop nuclear power ; you have to develop your military striking power and you have to be self-sufficient economically and militarily before you can have a voice which can count anything in foreign affairs.

With these words, though it is meaningless to support or oppose these Demands—it is merely formalistic—I beg of the House and of the Foreign Minister to consider dispassionately and satisfy the House whether the policy of non-alignment has served any foreign policy objective and any of our national interests and whether it is going to lead us anywhere.

SHRI KADAR (Bombay-Central South): Mr. Chairman, I am thankful to you for giving me this time but I wonder whether I will be able to do justice in half a minute or two minutes which are left.

17.29 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

I would like to say only one thing that we should not ignore the areas which are still in Africa and other places where there should be continuous contact by us. As we know, recently they have achieved their independence, although it may not be called complete independence. Recently when I was in Africa I had seen that the people there are desiring and are looking forward to cooperation and guidance from our country So far as the diplomatic level is concerned there are diplomatic contacts but I would suggest that there should be political contacts also. That could be done by sending missions to different countries at different levesl.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may continue tomorrow.

—

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION *Re* : LAY-OFF OF WORKERS OF GANESH FLOUR MILLS, DELHI

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, आज मैं गणेश फ्लाअर मिल, जो दिल्ली में बहुत पुराना कन्सर्न है और 1891 से दिल्ली में चल रहा है, उसके बारे में चर्चा उठा रहा हूं।

इस कम्पनी ने सबसे पहले मजदूरों को बोनस दिया और जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको काफी फायदा यह देती रही। इसी बीच में इस कम्पनी के मालिकों ने एक पंखा बनाने का और एक सालवेंट (खली से तेल निकालने का) प्लान्ट लगाया। उसमें कुछ घाटा होने लगा। उन्होंने एल० आई० सी० से 16 लाख रु० का लोन लिया। महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन से लोन लिया। बहुत सी जगह से लोन

लिया, फिर भी वह घाटा पूरा नहीं कर सके। उसके बाद मोरारका ग्रुप के सौदागर उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा ग्राप को पैसे की कमी है, हम किस लिए हैं। ग्राप ले लीजिये 40,50 लाख रु० ग्रौर हमको सूद देते रहिये। वह गरजमन्द तो थे ही, उन्हें क्या पता था कि ईस्ट इंडिया कम्पनी की तरह हमारे घर में एक दूसरा डकैत डाकू ग्रा रहा है। उन्होंने पैसे ले लिये। जैसे ही यह मुरारका बंधु पहुँचे उसके बाद सेन्ट्रल बैंक ने कुछ शेयर ले रखे थे इस कम्पनी के वह उससे खरीद लिये ग्रौर डाइरेक्टर ग्रपने तोड़ लिये। धीरे-धीरे उसका नतीजा यह हुग्रा कि उस कम्पनी पर पूरा कब्जा कर लिया। जो छोटे-छोटे गरीब लोगों के बहुत से शेयर्स थे, विधवायें थीं उनके शेयर्स थे, सब पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं किया, उन्होंने माल खरीदने ग्रौर बेचने का भी जो काम था उसके बारे में कहा कि इतना कमीशन मोरारका कम्पनियां लेंगी। मोरारका कई भाई हैं। एक श्री गोकल चन्द मोरारका है। दूसरे श्री जी० के० मुरारका है ग्रौर श्री जी० डी० मुरारका हैं ग्रौर ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं जैसे डब्लू० एच० ब्रांडे कम्पनी लि० है क्षक्ति ट्रेडिंग कम्पनी है, ग्रपोलो टेक्सटाइल्स मिल्स हैं, ग्राम्संस्ट्रांग स्मिथ है ग्रौर ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं। इन मुरारकाग्रों ने कम-से कम करोड़ों रुपया इन्कम टैक्स का देना है। वे खुद सरकार के कर्ज में हैं लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इन कम्पनियों को कर्जा दे कर उनका गला पकड़ लिया है ग्रौर वे मजदूरों के प्रोविडेन्ट फंड तक खा गये। माननीय मन्त्री जी, मैं आप से कहना चाहता हूं कि ऐसा करना इनका पेशा हो गया है। शोलापुर टैक्सटाइल्स मिल्स का ये प्रोविडेन्ट फंड हजम कर गये ग्रौर इनको सजा हुई छः महीने की-बाप-बेटे को सजा हुई-लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, मुरारका बंधु जेल काट ग्राए लेकिन पैसा नहीं दिया। यहाँ भी जो पंखे बनते हैं ग्रौर यहां जो एक नं० का वनस्पति का प्लान्ट था, जो देश में सबसे पहले बना, उसका प्रोवीडेन्ट फंड वे गोल कर गये ग्रौर बहुत सी कम्पनियों को उन्होंने ठग लिया। पैसा उधार देते हैं ग्रौर पुराने जमाने में जैसा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने किया, एक बार जो फंस गया तो पूरी कम्पनी को ले लेते हैं और काम बन्द करा देते हैं। इनकी खरीदी हुई बहुत सी सिक मिलों को भारत सरकार ने खरीदा है ग्रौर वे चल रही है ग्रौर इस तरह से इनको गवर्नमेंट को बहुत सा पैसा देना है। गवर्नमेंट से लोन सारी कम्पनियों ने ले रखा है ग्रौर उसके बाद भी ये दूसरी कम्पनियों को पैसा उधार देते हैं और फिर उनको ले लेती हैं ग्रौर कारखानों को बन्द करा देती हैं। इनका यही काम है और वे सारा जीवन यही करते रहे हैं, लेकिन मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जहां मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ होता हो, उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल्ली में एक डेढ़ हजार मजदूर हैं जो कारखानों के बन्द होने से बेकार हो गये। कारखाने बड़े प्राफिट में चल सकते हैं और उन में नुक्सान होने की कोई वजह नहीं है। ट्रेड यूनियन के सदस्य ज्यादा वक्त देने को भी तैयार है ग्रौर वे चाहते हैं कि कारखाने बन्द न हों लेकिन परेशान करके उनको बाहर निकाल देते हैं ग्रौर कुछ इधर-उधर की बात कर देते हैं जब तनख्वाह देने की बात की जाती है। मजदूर चाहते हैं कि कारखाने चलें और उसके लिए वे कहते हैं कि सरकार इनको ले ले। जब सरकार के लेने की बात ग्राती है तो वह कहती है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेने देता है। पिछली बार मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्होंने इनके लेने के लिए रिकमेन्ड नहीं किया। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की पालसी अपनी है। कोई इधर ऊधर का भूठा-सच्चा मामला हो जैसे किसी ट्रस्ट का या मंदिर का मामला हो, तो वह कुछ कर भी सकता है। लेकिन मजदूरों के हितों का जहां तक सवाल है,दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन उस को नहीं करेगा। यहां जो अयोध्या काटन मिल है

[श्री शशि भूषण]

उसको सरकार ने ले लिया है। उसे दिल्ली प्रशासन को चार लाख रुपये बिजली के देने हैं। वे कहते हैं कि पहले बिजली का पैसा दे दो। इस तरह से दिल्ली के बहुत से संस्थानों को नुक्सान हो रहा है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा प्राशा नहीं करनी चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि जो मजदूरों का हित है और दिल्ली में जो दिल्ली वालों का हित है, उसको भारत सरकार को देखना चाहिए क्योंकि जो पैसा हम दिल्ली एड मिनिस्ट्रेशन को देते है, उस की सारी जिम्मेदारी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर ही आती है, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि शादी का घोड़ा होता है, लगाम उसकी किसी के हाथ में होती है और दुल्हा आप बने हुए है। उनका क्या, वे दुल्हे को कहीं दूसरी जगह गुमराह करके भी ले जा सकते है। इसलिए आप जो मजदूरों के हितों के लिए कमिटेड हैं, उनके काज के लिए आप कमिटेड हैं उस दिशा में आपको कार्य करना चाहिए। इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मुरारकाज पर जो बहुत से चीटिंग के केसेज चल रहे हैं, सी० बी० आई० इनकी इन्क्वायरी करे और जो आपका विभाग है, मजदूरों का जो विभाग है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य मजदूरों पर निर्भर है, वह इन लोगों की दिक्कतों को दूर करने की ओर ध्यान दे और वह उन लोगों के खिलाफ जो इस ढंग से कारखाने खरीद कर और लोन दे कर किस तरह से कारखाने खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सख्त कार्यवाही करे। आपके श्रम विभाग के अधिकार बहुत कम हैं और जिम्मेदारी बहुत। देश में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है और देश को आगे ले जाना है, तो मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए और आपके इस विभाग के अधिकार बढ़ने चाहिए। अभी बहुत सी जगह ट्रेड यूनियनों को रिकगनीशन नहीं मिला है, बहुत सी जगह आपके हाथ नहीं पहुंच पाए हैं और जो लेबर कोर्ट्स हैं वे भी ऐसी हैं जिनके कानून ऐसे हैं जो कि पुराने वक्त के हैं और ऐसे कानून नहीं हैं जो कि एक समाजवादी देश में होने चाहिए। मैं आज आप से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि एक तो सरकार इसको अपने हाथ में ले ले, दूसरे इन मुरारका ब्रादर्स की इनकी जितनी कम्पनियों का मैंने जिक्र किया, सी० बी० आई० द्वारा जांच कराइए और ये कारखाने बहुत जल्दी चलाए जाएं। यही मेरी आप से प्रार्थना है।

श्री अमरनाथ चावला (दिल्ली सदर): सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कम्पनी ने इनका ले आफ किया था 22 मार्च से लेकर 5 मई तक। उसके बाद आज तक लेबर विभाग ने इन मजदूरों के लिए क्या किया है जिनको कि अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है, इनके बच्चे स्कूलों की फीस नहीं दे सके हैं? कौन से कदम आपके विभाग ने उठाए हैं जिससे कि इन मजदूरों की तकलीफें दूर हों और इनको तनख्वाह मिले?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): सभापति महोदय, यह कारखानों के ले आफ करने की बीमारी कोई नहीं है, यह बहुत पुरानी है और जहां भी मालिक समझते हैं वहां बिना किसी रुकावट के या तो ले आफ कर देते हैं, तालाबन्दी कर देते हैं या मिल बंद कर देते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहली बात यह जानना चाहता हूं कि मालिकों की नियत इन कारखानों को चलाने की है या नहीं और अगर नहीं है तो इसके पीछे कौन से कारण हैं।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी कारखाने में और इस फ्लौर मिल में काम करने वाले मजदूरों को बेकारी की मार से बचाने के लिए मालिकों द्वारा तालाबन्दी करने या बन्द करने की नीति को गैर कानूनी घोषित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

तीसरी बात—अभी कहा गया कि सरकार इस कारखाने को हाथ में ले ले और जब भी कोई कारखाना बन्द होता है तो यही कहा जाता है, कहीं का भी कारखाना हो। तो इस बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार हीला हवाला क्यों कर रही है? इसके क्या कारण है?

आखरी प्रश्न, सभापति महोदय, मेरा यह है कि प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि 30 अप्रैल तक का वेतन दिया गया है। मजदूर गरीब होते हैं उनको रोज का खाना चाहिए, मई का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। मई का वेतन दिया जाए, इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही की है और अगर आप ने कोई कार्यवाही नहीं की है तो इस वेतन की रकम दिलाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं?

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव (कटिहार): सभापति जी जहां तक मुरारका का सम्बन्ध है, मेरा कहना यह है कि उन्होंने जानबूझ कर इस कारखाने को घाटे में परिणत कर दिया है। मुरारका ने दो सौ करोड़ रुपये की पूंजी बैंक से कर्ज लेकर या किसी दूसरे ढंग से ली यह सर्वविदित है, लेकिन उन्होंने सेल एण्ड परचेज में, दोनों में कमीशन तो लेना शुरू कर ही दिया, उसके अलावा इन्ट्रेस्ट भी लेना शुरू किया और इसके कारण मुनाफा कम होने लगा। इस कारण वहां पर मैनेजमेंट ने ताला-बन्दी कर दी और वहां के मजदूरों को बेकार कर दिया। क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है?

दूसरी बात सभापति महोदय, मैं य जानना चाहता हूं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसके बारे में अभी श्री शशि भूषण जी ने बताया कि उन्होंने इस बारे में रिकमेंड नहीं किया था और इसलिए सरकार उसको अपने कब्जे में नहीं ले सकती, लेकिन रिसेन्टली क्या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए, जो मजदूर वहां पर बेकार हो गये है और बेकारी के चक्कर में हैं और जिनके बच्चे आज दाने-दाने को मोहताज हो रहे हैं, सरकार को रिकमेंड किया है कि वह इस कारखाने को अपने हाथ में ले ले और मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मजदूरों के हितों के लिए उस कारखाने को अपने संरक्षण में लेने के लिए कोई कदम जल्दी उठा रही है या नहीं?

श्री टी० सोहन लाल (करौल बाग): सभापति महोदय, जहां तक इस कम्पनी का ताल्लुक है, इस को मोरारका भाइयों ने जान-बूझ कर खराब करने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि...

सभापति महोदय: माननीय सदस्य सवाल पूछें।

श्री टी० सोहन लाल: मैं यह जानना चाहता हूं कि अप्रैल, 1970 से अप्रैल, 1971 तक कितने मजदूरों ने कितने दिन काम किया। उस मिल पर जो पांच लाख रुपया प्राविडेंट फंड का बकाया है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा है? जैसा कि आप जानते है, इसमें से आधा पैसा मजदूरों का होता है और आधा कम्पनी देती है। इसके अलावा मिल ने जो ,20 लाख रुपये का घाटा दिखाया है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा है। जब ये मजदूर एजीटेशन कर रहे हैं, तो, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया है, दिल्ली स्टेट ने इसको लेने के लिए संट्रल गवर्नमेंट को लिखा है। मेरी जानकारी में तो अभी तक दिल्ली स्टेट ने नहीं लिखा है। मिनिस्टर साहब बतायें कि क्या दिल्ली स्टेट ने लिखा है।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा): सभापति महोदय, श्री शशि भूषण जी ने जो तथ्य गणेश फ्लोर

[श्री बालगोविन्द वर्मा]

मिल के बारे में सदन के सामने रखे हैं, उनमें से बहुत तो सत्य हैं। उनके बारे में गवर्नमेंट भी काफी चिन्तित है। चूँकि इस विषय का सीधा सम्बन्ध दिल्ली प्रशासन से है—हो सकता है कि दिल्ली प्रशासन इस सम्बन्ध में कोग्राप-रेशन दे रहा हो या न दे रहा हो; इसके बारे में हम नहीं कह सकते—, इसलिए बहुत सी बातों के लिए हमें दिल्ली प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। जो भी सूचनाएं हमें मिलती हैं, वे दिल्ली प्रशासन से ही मिलती हैं और उसी के आधार पर हमें कार्यवाही करनी पड़ती है।

श्री अमर नाथ चावला : सवाल यह है कि क्या इस मामले का ताल्लुक दिल्ली प्रशासन के उस विभाग से है जो रिजर्व्ड सबजेक्ट है, या इसका ताल्लुक मेट्रोपालिटन कौंसिल से है।

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह बिलकुल सत्य है कि इस कम्पनी की हालत खराब कर दी गई है—या है। इसकी हालत आज से नहीं, बल्कि बहुत दिनों से खराब है। जब से गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट आफ कम्पनी अफेयर्स को, इस बारे में सूचना मिली है, तब से बराबर इस पर निगाह रखी जा रही है। इसके मामलों की जांच-पड़ताल हो रही है। जब कभी भी इस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराया गया, तो यह मालूम हुआ कि इस का काम बड़े खराब ढंग से चल रहा है और इस की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस कम्पनी का जो मैनेजर-कम-सैक्रेटरी था, उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए काफी लाभ उठाया है, जिसके कारण इस मिल की हालत खराब हुई है।

यह मिल अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर रही थी और इसीलिए 22 मार्च, 1971 को उन्होंने 250 वर्कर्ज को थोड़े दिनों के लिए काम से अलग कर दिया। इस पर वर्कर्ज ने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा। दिल्ली एड-मिनिस्ट्रेशन ने कुछ कार्यवाही शुरू की। उसके बाद वर्कर्ज और मिल मैनेजमेंट के बीच में कुछ संधि हो गई, जिसके आधार पर मैनेजमेंट ने वर्कर्ज को 30 अप्रैल, 1971 तक का पूरा वेतन दे दिया, यद्यपि जैसा कि उन्होंने बाद में बताया, कुछ ऐसी प्राविजन थी कि वे पूरा वेतन देने के लिए बाध्य नहीं थे। लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने पूरा वेतन दे दिया।

श्री रामावतार शास्त्री : ले आफ में पूरा वेतन मिलना ही है।

श्री बालगोविन्द वर्मा : उसके बाद उन्होंने 5 मई को ले आफ खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने वर्कर्ज को काम फिर भी नहीं दिया। वर्कर्ज वहां बराबर आये और बैठे रहे।

दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने उन से पूछा कि क्या वे फैक्टरी को बिल्कुल बन्द कर देना चाहते हैं, या फिर चलाना चाहते हैं; उनकी क्या मंशा है। मैनेजमेंट ने बताया कि उनकी मंशा यह नहीं है कि वे फैक्टरी को बन्द कर दें, वे फैक्टरी को चलाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ कारण भी बताये, जिनकी वजह से वे फैक्टरी को नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रा मैटीरियल, कच्चे माल, की शार्टेज है, वह हमें कम मिल रहा है और प्राडक्शन कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारिक कठिनाइयों और परेशानियों के कारण हम प्राडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने फिनांशल ट्रबल का भी जिक्र किया।

लेकिन इससे पहले उन से कहा गया कि क्या वे फैक्टरी को चलायेंगे या नहीं, न उन्होंने ले आफ डिक्लेयर किया है और न क्लोजर, वर्कर्ज को पूरी तन्ख्वाह मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं और हम उन को तन्ख्वाह देना चाहते हैं। जब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ और कार्य-वाही करने के बारे में सोचा, तो उन्होंने फिर वर्कर्ज के साथ मुआहिदा किया और उन को 30 मई तक की तन्ख्वाह दे दी। लेकिन उन्होंने

30 मई तक की तन्ख्वाह सिर्फ 200 वर्कर्ज को दी, जब कि 50 वर्कर्ज बाकी रह गये। जून की तन्ख्वाह उन पर बाकी थी और जुलाई की तनख्वाह बाकी चल रही है। जब उन का ध्यान फिर आकर्षित किया गया, तो उन्होंने कहा कि हम पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, और जैसे ही व्यवस्था हो जायेगी, हम फैक्टरी भी चलायेंगे और वर्कर्ज की तन्ख्वाह भी देंगे। वे यह नहीं कहते कि हम फैक्टरी को बन्द कर देंगे। वे कुछ एसेट्स बेचना चाहते थे।

श्री शशि भूषण : बेच रहे हैं।

श्री बालगोविन्द वर्मा : नहीं, वे एसेट्स बेचना चाहते थे। जब यह बात डिपार्टमेंट आफ कम्पनी अफेयर्स के नालेज में आई, तो उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की जिस में प्रार्थना की गई कि (1) प्रजेन्ट बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज को हटा दिया जाये, (2) एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर्ज अथवा बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज नये एपायंट किये जायें, जो सुचारू रूप से फैक्टरी की व्यवस्था चलायें और (3) कम्पनी को एसेट्स बेचने की मनाही कर दी जाये।

इस पर हाई कोर्ट ने रिट दाखिल कर ली है और आदेश दिया है कि कम्पनी अपने कोई भी एसेट्स नहीं बेच सकती। अब मैनेजमेंट की तरफ से कहा जाता है कि चूंकि हम को एसेट्स बेचने से मना कर दिया गया है, इस लिए हम मजबूर हैं, हम पैसा कहां से दें।

इन सब बातों को देखते हुए यह कोशिश हो रही है कि क्या इस मिल को सरकार द्वारा ले लिया जाना चाहिए, जैसा कि अभी सभी माननीय सदस्यों ने इच्छा प्रकट की है। इसको लेने में काफी समय लगता है।

श्री शशि भूषण : क्या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने यह रीकमेंड किया है?

श्री बालगोविन्द वर्मा : अभी नहीं किया है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इस की जांच-पड़ताल कर रहा है। वह अपनी रीकमेंडेशन भेजेंगे। लेकिन इस में दो मुख्य मंत्रालयों का संघ है। इस का सम्बन्ध है एक तो मिनिस्ट्री आफ फूड ऐंड ऐग्रीकल्चर से और दूसरा है मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। पहले तो जो रेकमेंडेशन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से आएगी वह एग्जामिन की जायेगी और प्रोसेस की जायेगी मिनिस्ट्री आफ फूड ऐंड ऐग्रीकल्चर में और फिर वह अपनी रेकमेंडेशन देंगे मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो कि उसके बाद उस पर ऐक्शन लेंगे...

श्री शशि भूषण : कौन सी मिनिस्ट्री टेक अप करेगी?

श्री बालगोविन्द वर्मा : मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।

श्री सतपाल कपूर : अगर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो कि जनसंघ वालों के हाथ में है और सरमायेदारों के हाथ में है वह रेकमेंड न करे तो क्या करेंगे आप मजदूरों की भलाई के लिए? (**व्यवधान**)...

श्री बालगोविन्द वर्मा : दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि यूनिलेटरल कोई काम करे क्योंकि यह बात संट्रल गवर्नमेंट की नालेज में आ गई है संट्रल गवर्नमेंट इस बात से संतुष्ट हो गई है कि इस फैक्ट्री का काम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं चल रहा है इसलिए जरूरी है कि इस की जांच पड़ताल की जाय। उसके लिए पहले तो एक कमेटी नियुक्त करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो जांच करेगी और सुझाव देगी। तत्पश्चात् ही कार्यवाही की जा सकती है।

मेम्बर्स ने काफी इस बात पर जोर दिया है कि इस मिल को गवर्नमेंट अपने हाथों में ले। हम उन की भावनाओं का आदर करते हैं और

[श्री बालगोविन्द वर्मा]

उन की भावनाओं को हम फूड ऐंड ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भेज देंगे।

श्री शशि भूषण : सी० बी० आई० की एन्क्वायरी की सिफारिश कर दीजिए।

श्री बालगोविन्द वर्मा : इंडस्ट्रियल इंवेस्टिगेशन कमेटी नियुक्त होने दीजिए। पहले रिपोर्ट आ जाय दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन की... (व्यवधान)... वह रिपोर्ट को रोक नहीं सकते क्योंकि यह ऐसा मामला है कि जो उन्हीं तक सीमित नहीं है। इसमें लगभग तीन सौ वर्कर्ज के जीवन का प्रश्न है। वह काम चाहते है, मैनेजमेंट काम नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह जैसा चाहें वैसा करते रहें।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : वह पिक ऐंड चूज पालिसी के आधार पर पैसा दे रहे है, इस के लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री बालगोविन्द वर्मा : माननीय सदस्यों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार हर प्रकार से अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत है और वह सभी समुचित कदम उठाये जा रहे हैं जो उठाये जाने चाहिए।

श्री शशि भूषण : इन्क्लूडिंग सी बी आई एन्क्वायरी।

श्री बालगोविन्द वर्मा : सी० बी० आई० एन्क्वायरी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आपकी भावनाओं को मैं सम्बन्धित विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।

तालाबन्दी गैरकानूनी घोषित करने की जहां तक बात है, वह कहते हैं कि तालाबन्दी तो उन्होंने की नहीं है। वह कहते हैं कि चलायेंगे। न क्लोजर हैं...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : उनके साथ में जो वर्कर्स हैं उन को पैसा वह दे रहे हैं और पिक ऐंड चूज पालिसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री टी० सोहन लाल : अप्रैल 70 से 71 तक कितने दिन साल में काम हुआ है फैक्ट्री के अन्दर?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह तो आफ हैंड बताना बहुत मुश्किल है। आप अगर नोटिस देंगे तो बता सकेंगे (व्यवधान)...टोटल नम्बर आफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट 300 है और अनेदर 275 एम्प्लायड इन क्लेरिकल ऐंड सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन फैक्ट्री एण्ड हैड आफिस हैं। यह इन्फार्मेशन मेरे पास है। बाकी इन्फार्मेशन जो चाहते हों तो उसके लिए नोटिस देने पर वह मिल सकेगी। जितने भी प्रश्न माननीय सदस्यों ने रखे थे मैं ने उन का जवाब दे दिया है। कोई विशेष बात नहीं रह गई है। अन्त में मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह मामला बहुत गंभीर है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : वर्कर्स की पे का क्या होगा? एन्क्वायरी में देर लगेगी। तब तक की पे का क्या होगा?

श्री बालगोविन्द वर्मा : पे तो मई तक की मिल गई है। वैसे पे के लिए लेबर ट्रिब्यूनल को भी यह मामला सौंपे जाने की सम्भावना है कि यह जस्टिफाइड है या नहीं और क्या कार्यवाही इस पर की जाय।

17.58 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 20, 1971/ Asadha 29, 1893 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 2: Daryaganj. Delhi-6.